स्पीडपोस्ट/
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सं0–27011/51/2014–आरएण्डडबल्यू
भारत सरकार गृह मंत्रालय,
पुलिस–II डिविजन
पुनर्वास एवं कल्याण निदेशालय
*****

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–01
दिनॉक सितम्बर, 2014
02 SEP 2014

सेवा में,

श्री नन्दलाल मीणा, भूतपूर्व हव/जीडी,
पुत्र श्री रामनारायण मीणा,
गॉव–केशरपुरा, पो0–टीकर,
तहसील– जहालपुर, जिला–भीलवाडा, राजस्थान–311201

विषय : **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र**

कृपया आप अपने पत्र दिनॉक 14/07/2014 का अवलोकन करें जो सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध है।

2. मांगी गई सूचना बिन्दुवार नीचे दी जा रही है :–

क0	बिन्दु	जवाब
1	सेवानिवृत कार्मिक की अर्ज इस प्रकार से है कि आपके कार्यालय द्वारा CRPF के सेवा निवृत कार्मिकों को Ex-Men का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहा के सेवानिवृत कार्मिक जिला सैनिक बोर्ड में अपना नाम रजिस्ट्रड करवाने के लिए जाते है तो जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय अवगत् करता है कि हमारे पास 2012 में जो लेटर जारी किया था उसके बाद भारत सरकार गृह मंत्रालय ने दुसरा पत्र जारी नही किया था उसके बाद नाम जिला सैनिक बोर्ड में दर्ज नही करेगा।	चूकिं CAPF के कर्मी 57/60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत होते है इसलिए Ex-CAPF कर्मी पुनर्नियोजन (Re-employment) के हकदार नही है। इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा Ex-CAPF के पुनर्नियोजन (Re-employment) हेतु कोई कोटा निर्धारित नही किया गया है और ना ही इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किया गया है। जबकि गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27011/100/2012–आरएण्ड डबल्यू दिनॉक 23/11/2012 के अनुसार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस तथा सशस्त्र सीमा बल से सेवानिवृत हुए कर्मियों को "भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक" (Ex-CAPF) का पदनाम (दर्जा) दिया गया है। <u>ना कि भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिया गया है।</u> उपरोक्त पदनाम के आधार पर संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र सरकारें भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों को रक्षा बलों (Defence Forces) के भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों की भांतिं समुचित (Suitable) लाभ प्रदान करने हेतु विचार कर सकती है। परन्तु ऐसा करने के लिए राज्य/संघ सरकारें बाध्य नहीं हैं।
2	जिला नियोजन कार्यालय भी बताता है कि हमारे पास CRPF को Ex-Men का दर्जा मिला या नही उसके सम्बन्ध में हमारे पास कोई लेटर नही है।	

लगातार–2

CR- 336745/2014/SO(R&W)
25/8/14

RTI Matter
Urgent

Ministry of Home Affairs
(Right to Information Section)

Dated 21st August, 2014

Subject: Communication of Shri Nanda Lal Meena.

As desired, a copy of the application 14.7.2014 received from Shri Nand Lal Meena is enclosed herewith for further necessary action

Section Officer
RTI Section

DS (PMA)

~~Section Officer(SO-PMA)~~

F/C R&W
Sh. Ravinder
25/8

~~RTI Matter~~
~~Urgent~~

सूचना के अधिकार के तहत   Dy. No. 4070/RTI/2014
21/7/14

सलाम

Ministry of Home Affairs
17 ... 2014
.......794

श्रीमान गृह मंत्रालय महोदय जी,
भारत सरकार नई दिल्ली

विषय:- No- 27011/100/2012-R-SW के सन्दर्भ मे आवेदन पत्र।
DATE- 23 NOV 2012

महोदय जी,

सविनियम नम्र निवेदन इस प्रकार से है कि सेवानिवृत्त कार्मिक की अर्जी इस प्रकार से है कि आपके कार्यालय द्वारा C.R.PF के सेवा निवृत्त कार्मिक को EXMAN का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहां के सेवानिवृत्त कार्मिक जिला सैनिक बोर्ड मे अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते है तो जिला सैनिक बोर्ड कार्य अवगत करता है कि हमारे पास 2012 के मे जो लेटर जारी किया था, उसके बाद भारत सरकार गृह मंत्रालय ने दूसरा पत्र जारी नही किया, इसलिए हम आपका नाम जिला सैनिक बोर्ड मे नाम दर्ज नही करेगे

2) जिला नियोजन कार्यालय भी बताता है कि हमारे पास CRPF को EXMAN का दर्जा मिला या नही उसके सम्बन्ध मे हमारे पास कोई लेटर नही है।

3) जितने भी CRPF से सेवा निवृत्त कार्मिक है, उनको किसी भी प्रकार की अस्पताल सुविधा व केन्टीन सुविधा नही मिल रही है।

4) देवली एरिया के अन्दर कम से कम 600 CRPF से सेवानिवृत्त कार्मिक है, जिनको अस्पताल व केन्टीन सुविधा नही मिल रही है।

5) देवली नसीराबाद इलाके मे हर महीने नसीराबाद आर्मी एरिया के गाडी आती है लेकिन वह बताते है कि हमारे पास आप लोगो का केन्टीन कार्ड बनने का किसी भी प्रकार का लेटर नही आया है। जबकि उन्होने आपके कार्यालय पत्र संख्या 27011/100/2012-R-SW के अनुसार कई कार्मिक का केन्टीन कार्ड बना लेकिन अभी मना कर रहे है हमारे पास 2012 के बाद दूसरा पत्र नही मिला, इसलिए हम CRPF सेवानिवृत्त कार्मिक को केन्टीन कार्ड नही बनायेगे!

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है उक्त सेवा निवृत्त CRPF कार्मिक की अर्जी को मद्देनजर रखते हुए CRPF सेवा निवृत्त कार्मिको को आर्मी के केन्टीन व अस्पताल सुविधाओ की अनुमति प्रदान करे। सभी सेवा निवृत्त CRPF कार्मिक सदा के लिए आपके आभारी बने रहेगे।

EX HC/GD NANDLAL MEENA
S/O SHRI RAM NARAYAN MEENA
VILLAGE- KESHER PURA
P.O. TIKER
TEH- JAHAZ PUR.
जिला- BHILWARA
(RAJASTHAN)
PIN. 311201
P.NO- 9414634380

प्रार्थी
CRPF सेवा निवृत्त समीक्षा

DATE 14-7-2014

DS(PM)

0 2 SEP 2014

3	जितने भी CRPF से सेवानिवृत कार्मिक है उनको किसी प्रकार की अस्पताल सुविधा व कैंटीन सुविधा नही मिल रही है।	केन्द्रीय सरकार स्वास्थय सेवा योजना (CGHS) के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों मे रहने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के भूतपूर्व कार्मिक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना (CGHS) की सुविधा पाने के पात्र है। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थय सेवा योजना उपलब्ध नहीं है, वहां पर उन्हें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध है। उपरोक्त सुविधा के अलावा भूतपूर्व कार्मिक पेंशन के साथ साथ रू 300/-प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर सकते है। वर्तमान में मुफ्त चिकित्सा सुविधा करवाने का कोई प्रावधान नहीं है।
4	देवली एरिया के अन्दर कम से कम 60% CRPF से सेवानिवृत कार्मिक है जिनको अस्पताल व कैंटीन की सुविधा नही मिल रही है।	
5	देवली व जहाजपुर इलाके में हर महिने नसीदाबाद आर्मी एरिया से गाडी आते है लेकिन वह बताते है कि हमारे पास आप लोग का कैंटीन कार्ड बनने का किसी भी प्रकार का लैटर नही आया है। जबकि उन्होनें आपके कार्यालय पत्र संख्या 27011/100/2012-R&W के अनुसार कई कार्मिक का केन्टीन कार्ड बना दिया लेकिन अभी मना कर रही है हमारे पास 2012 के बाद दुसरा पत्र नही मिला, इसलिए हम CRPF सेवानिवृत कार्मिक को कैंटीन कार्ड नही बनायेगे। नम्र निवेदन है कि उक्त सेवानिवृत CRPF कार्मिक की अर्ज पर नजर रखते हुए CRPF सेवा निवृत कार्मिक को आर्मी से कैंटीन व अस्पताल सुविधा दिल की अनुमति प्रदान करें।	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों को सी0एस0डी0 (CSD) सुविधा दिए जाने के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय के साथ विधिवत् विचार किया गया, किन्तु सीमित संसाधनों और अवसंरचना होने के कारण इस पर सहमति नही बन सकी। तथापि गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों/भूतपूर्व कर्मियों हेतु सीएसडी की तर्ज पर दिनॉक 18/09/2006 को केन्द्रीय पुलिस कैंटीन (CPC) की स्थापना की गई है। वर्तमान में पूरे देश में कुल 1426 कैंटीनें चल रही है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय पुलिस कैंटीन की वैबसाईट http://cpcmha.gov.in देखी जा सकती है।

5. उपरोक्त के सम्बन्ध में अपील करने की दशा में श्री निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव (पुलिस-II), गृह मंत्रालय, कमरा न0 171-बी, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-01, अपीलेट अधिकारी है।

भवदीय,

जी0 सी0 यादव

(जी0 सी0 यादव)
उपसचिव (पीएमए) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1	अनुभाग अधिकारी, आरटीआई सैल, गृह मंत्रालय।	- को उनके पत्र दिनॉक 21/08/2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2✓	अनुभाग अधिकारी, आई टी सैल, गृह मंत्रालय	गृह मंत्रालय की वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।
3	उपसचिव (पीएमए) के पीए	

जी0 सी0 यादव

(जी0 सी0 यादव)
उपसचिव (पीएमए) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी